उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 3023..............

दिनांक /Date.: 7.3.2020

(संवाद–29)

वन आरक्षी भर्ती परीक्षा निरस्त करने के संबंध में।

दिनांक 05.03.2020 को उत्तराखण्ड बेरोजगार संगठन के साथ कई अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में वन आरक्षी भर्ती परीक्षा के निरस्तीकरण हेतु प्रदर्शन करने आये तथा उन्होंने यह ज्ञापन प्रस्तुत किया कि अब चूंकि इस परीक्षा में पेपर लीक की पुष्टि हो गयी है अतः इस परीक्षा को तत्काल निरस्त कर दिया जाय।

इसके कुछ दिन पूर्व आयोग कार्यालय में 28–30 अभ्यर्थियों का दल यह अनुरोध करने आया कि यह भर्ती परीक्षा निरस्त नहीं की जानी चाहिए बल्कि इस मामले की शीघ्र जांच कराकर परिणाम निकाला जाना चाहिए।

इस प्रकार दोनों पक्ष आयोग में अपना ज्ञापन/अनुरोध पत्र भी दे चुके हैं। इन सभी अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से अवगत कराना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भर्ती परीक्षाओं को निरस्त करने के संबंध में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि भर्ती निरस्त करने का निर्णय युक्ति युक्त होना चाहिए तथा गड़बड़ी के परिमाण के आधार पर किया जाना चाहिए। वर्तमान तक भी आयोग को इस परीक्षा में हुयी गड़बड़ियों की आख्या प्राप्त नहीं हुयी है। ऐसे में संबंधित जांच एजेंसी/विभाग से आयोग को जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आयोग इस संबंध में कोई निर्णय ले सकेगा। अभी अपने ज्ञापन में जो पेपर लीक होने की बात संगठन के सदस्यों द्वारा की गयी है, इस बारे में कोई भी रिपोर्ट आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं है अतः अभी परीक्षा के संबंध में कोई भी निर्णय अपरिपक्व निर्णय होगा।

अपने ज्ञापन में संगठन प्रतिनिधियों द्वारा इस बात का भी उल्लेख किया गया कि परीक्षा को निरस्त कर 100 दिन में पुनः परीक्षा कराई जाय। इस बिंदु पर इस परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों से यह अनुरोध है कि एक अपरिपक्व निर्णय लेकर यदि परीक्षा निरस्त भी कर दी जाय तो इस निर्णय को मा0 न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में यह परीक्षा/चयन एक लम्बी विधिक प्रक्रिया में फंस सकती है। इसका किसी भी अभ्यर्थी को कोई लाभ नहीं होगा

अतः सभी अभ्यर्थियों व युवाओं से यह अनुरोध है कि वे इस मामले में चल रहीं जांच तथा उसके उपरांत आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा करें। वर्तमान में परीक्षा निरस्तीकरण के लिए धरना, आन्दोलन या अन्य प्रकार से विरोध प्रदर्शन का औचित्य नहीं है। उचित समय पर आयोग इस मामले में स्वयं निर्णय लेगा।

7/3/2020
(संतोष बडोनी)
सचिव।

Scanned by CamScanner